

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-2740735, फेक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/4424

जयपुर दिनांक :- 21.09.2019

आदेश संख्या: 490/2019-20

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण/ पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में प्रशासनिक आधार पर राज्य हित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	43374	दारा सिंह	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, चुरु	उपकोष, टिब्बी (हनुमानगढ़)	रिक्त पद पर
2.	11355	प्रियंका यादव	उपकोष, टिब्बी (हनुमानगढ़)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, चुरु	रिक्त पद पर
3.	10955	नरेन्द्र सिंह	उपकोष, पोकरण (जैसलमेर)	अधिकांशी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना-I, मुख्यालय, नाचना	रिक्त पद पर
4.	11963	ओम प्रकाश बैरवा	महानिदेशक, कारागार विभाग, जयपुर	निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
5.	9918	मोहम्मद असलम	कोषालय, भीलवाड़ा	सीबीईओ, समग्र शिक्षा अभियान, आसीद (भीलवाड़ा)	रिक्त पद पर
6.	12178	धर्मेन्द्र सिंह	जिला परिषद, नागौर	आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
7.	12048	मेवाराम पादड़ा	मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, जोधपुर	सीबीईओ, सर्व शिक्षा अभियान, परबतसर (नागौर)	
8.	11240	धर्मसिंह मीना	तहसील, मनोहरस्थाना (झालावाड़)	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाँली (सवाईमाधोपुर)	रिक्त पद पर

विभागीय आदेश संख्या 489/2019-20 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा सविता डांगी, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 12082) उपकोष, ऋषभदेव, उदयपुर से ओटीएस, उदयपुर में किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति/सहमति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 21.09.2019 के क्रम में जारी किये जाते हैं।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/4424

जयपुर दिनांक :- 21.09.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
- संबंधित कोषाधिकारी
- श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II) कार्यालय हाजा।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)